

अंचल अधिकारी का कार्यालय, राजनगर

आदेश फलक

विविध बाध संख्या 12.../2025-26.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित								
03/07/2025	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक-...<u>अनुपम प्रधान</u>....., पति/पिता...<u>सुख कुमार प्रधान</u>... निवासी ग्राम...<u>आमरी</u>... के द्वारा मौजा...<u>आमरी</u>..., धाना <u>राजपुर</u> खाता सं0...<u>180</u>..., प्लॉट सं0...<u>249</u>..., रकबा-...<u>27.570</u>..., नाम...<u>अनुपम प्रधान</u>... पति/पिता...<u>सुख कुमार प्रधान</u>... का जमाबंदी/सुधार हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदन पर राजस्व अभिलेख से जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक-...<u>04.07.2025</u>... को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, राजनगर।									
04/07/2025	अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>खाता सं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा</th><th>जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180</td><td>249</td><td>27.570</td><td>अनुपम प्रधान पिता- सुख कुमार प्रधान</td></tr> </tbody> </table> अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आलोक में उक्त भूमि विवरणी को ऑनलाईन एंजी-॥ में सुधार/दर्ज करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है। ऑनलाईन एंजी-॥ के VOLUME No....<u>1</u>....., पृष्ठ सं0...<u>288</u>... में जमाबंदी दर्ज/सुधार किया गया। अंचल अधिकारी, राजनगर।	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता	180	249	27.570	अनुपम प्रधान पिता- सुख कुमार प्रधान	
खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता							
180	249	27.570	अनुपम प्रधान पिता- सुख कुमार प्रधान							